जल संबंधी पर्यावरण कानून

जानकारी शीट

पर्यावरण और उसके संसाधनों को भारत के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह कहता है कि "राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" पर्यावरण का उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में भी किया गया है जहां कहा गया है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा – कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।'

संविधान में, और उसमें हुए उत्तरोत्तर संशोधनों में शामिल किये गये कानूनों तथा अधिसूचनाओं में से जो कानून खासतौर पर पानी से जुड़े हैं उनका यहाँ उल्लेख किया गया है।

देश में जल संबंधी कानून स्वतंत्रता-पूर्व काल से मौजूद रहे हैं। पानी से जुड़ा पहला विधान – 'भारतीय दंड विधान' 1860 में बनाया गया। इसके बाद पानी पर बने विधान, 1882 में "सुखाधिकार अधिनियम" तथा 1897 में "मत्स्य अधिनियम" के रूप में सामने आए।

भारत की स्वतंत्रता के बाद बने जल संबंधी कानूनों का वर्णन इस प्रकार है-

अधिनियम	वर्ष	वर्णन
नदी बोर्ड अधिनियम	1956	यह कानून प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिये तथा अंतर्राज्यीय नदियों और उनकी घाटियों की रक्षा करने के लिये है।
जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम	1974	यह कानून प्रदूषक तत्वों के निपटारे के लिये नदियों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। साथ ही यह अधिनियम बहिर्प्रवाहों के विसर्जन के लिये मानक तय करने के लिए दिशा निर्देश भी देता है।

जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) उपकर अधिनियम	1977	इस अधिनियम के द्वारा व्यक्तियों, उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किये जाने वाले पानी पर उपकर लगाया जाता है और उसे एकत्रित किया जाता है।
पर्यावरण रक्षा अधिनियम	1986	यह अधिनियम केन्द्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा हेतु सीधे दखल दे सकता है, साथ ही यह कानून इसी उद्देश्य के लिये व्यक्तियों को जनहित याचिका लगाने की सुविधा भी देता है।
तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरज़ेड)	1991 2001 (संशोधित)	ज्वार रेखा (एचटीएल) से 500 मी. तक की तटीय भूमि को, तथा ज्वारीय उतार-चढ़ावों के प्रभाव में आनेवाली संकरी समुद्री खाड़ियों, नदी के मुहानों, उल्टे प्रवाहों के जल और नदियों के तटों के किनारे 100 मी. तक के फैलाव वाले क्षेत्र को तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरज़ेड) घोषित कर दिया गया है। यह अधिसूचना इस क्षेत्र में कुछ खास तरह के विकास कार्यों पर रोक लगाती है।
वर्षाजल संग्रहण उप-विधान	2002 से	कई राज्य व नगरीय निकायों द्वारा जल संग्रहण के लिये उप-विधान तैयार किये गये हैं। कुछ उदाहरण हैं, तमिलनाडू

		नागरिक कानून अध्यादेश, हरियाणा शहरी विकास

ऊपर उल्लिखित पर्यावरण कानूनों में से कुछ के बारे में और जानने के लिये यह लिंक देखी जा सकती है http://envfor.nic.in/legis/legis.html#A

स्रोतः शैलजा रवीन्द्रनाथ और प्रसन्न कुमार डी.आर. (2002); *इंग्लिश-कन्नडा ऐन्साइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ ऐन्वायरनमैंट*, सैंटर फॉर ऐन्वायरनमैंट ऐजूकेशन, बैंगलोर